representatives of the trade unions of the insurance industry; and the representatives of the consumer interest groups, Chambers of Commerce & Industry, economists and opinion makers. The suggestions made in these discussion will be kept in view by the Government while taking final decisions on the recommendations made by the CRIS.

(c) The Government in the Ministry of civil Suplies, Consumer Affairs & Public Distribution, administering Consumer Protection and Relief Act, do not generate information in this format.

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बनाए गए नियम

2734. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सरकारी बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अपनी ऋण योग्य निधियों का क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत अल्पकालीन ऋणों में न्यूनतम निवेश किए जाने के संबंध में नियम बनाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वह पूंजी 11 प्रतिशत ब्याज पर संग्रहीत कर 9 प्रतिशत ब्याज पर निवेश करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उनके खाते पर 2 प्रतिशत घाटे की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी; और

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इस नियम को बदलने का विचार रखता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है उन्होंने न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता मानदंड लागू किया है जिसके अनुसार राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अल्पावधिक कृषि ऋणों में अपने निवल ऋणयोग्य संसाधनों का कम से कम क्रमशः 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत प्रदान करना होता है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से केन्द्रीय सहकारी बैंक को जो ब्याज दर प्रभारित करनी होती है यह विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है जैसे जमाराशियां जुटाने की लागत आदि। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से विद्यमान प्रभार्य ब्याज दर 9% वार्षिक है। आमतौर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक भुगतान की गई ब्याज राशि की कमी को बहुत ही रियायती ब्याज दर पर नाबार्ड/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पूनर्वित्त प्राप्त करके पूरा करते हैं। न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता मानक के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाने/उपाय करने हेतु सुझाव देने के लिए नाबार्ड ने पहले ही एक अध्ययन दल का गठन किया है।

मध्य प्रदेश सरकार के नकदी के लेन-देन का कार्य करने वाले बैंक

2735. **श्री कैलाश नारायण सारंग:**
श्री जगन्नाथ सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार के नकदी के लेन-देन का कार्य कौन-कौन बैंकों की शाखाओं द्वारा किया जा रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार के नकदी के लेन-देन को उप-कोषालय से बैंकों की शाखाओं को स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कौन-कौन से स्थानों के लिए अनुरोध किया है और मांग की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक आफ इंदौर की शाखायें मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के नकद लेन-देन का कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) उन गैर-बैंककारी उप कोषालयों की सूची विवरण में दी गई है जिनको बैंकिंग शाखाओं में परिवर्तित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को सुझाव दिया था। (नीचे देखिए) इसकी व्यवहार्यता का आरंभिक अध्ययन करने और संबंधित उप-कोषालयों के नकद लेन-देन का कार्य करने की उत्सुकता हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूची भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ इंदौर और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के पास भेजी है। संबंधित केन्द्रों में सरकार के नकद लेन-देन का कार्य करने के लिए राज्य सरकार भी इस मामले पर बैंकों के साथ सलाहकार कर रही है।